संख्या- 84/2024/1297/छप्पन-2024-10(3)/2004

प्रेषक,

अभिनव कुमार चौरसिया,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊः दिनांकः 24 सितम्बर, 2024

विषयः निष्पादन वाद संख्या-05/2023, जगदेव सिंह आदि बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में प्रतिकर धनराशि मु0 38,46,825.75 की स्वीकृति में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 121/ना0उ0नि0/2024 दिनांक 06 अगस्त, 2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या 56/2024/663/छप्पन-2024-10(3)/2024, दिनांक 23 जुलाई, 2024 में अंकित धनराशि रू0 38,46,825.75 (अड़तीस लाख छियालिस हजार आठ सौ पच्चीस रूपया पिचहत्तर पैसा मात्र) के स्थान पर पूर्णांक में रू0 38,46,826 (रूपए अड़तीस लाख छियालिस हजार आठ सौ छब्बीस मात्र) कराने की सीमा तक संशोधित कराने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी, लखनऊ के पत्र संख्या 257(1)/आठ अ0जि0अ0(भू0अ0) सं0सं0, लखनऊ दिनांक 28 मार्च, 2024 एवं आपके पत्रांक 26/ना0उ0नि0/2024 दिनांक 29 अप्रैल, 2024 द्वारा किए गए अनुरोध के क्रम में शासनादेश संख्या 56/2024/663/छप्पन-2024-10(3)/2024, दिनांक23 जुलाई, 2024 द्वारा जनपद लखनऊ में लखनऊ एयरपोर्ट के रनवे विस्तार एवं बंगला बाजार से बिजनौर पथान्तर योजना हेतु भूमि अध्याप्ति की धारा 18 के अन्तर्गत प्रकीर्ण वाद संख्या-45/2002, जगदेव सिंह आदि बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 जिला जज/पीठासीन अधिकारी, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04 मार्च, 2023 के क्रम में मा0 न्यायालय द्वारा वांछित धनराशि मु0 38,46,825.75 (अड़तीस लाख छियालिस हजार आठ सौ पच्चीस रूपया पचहत्तर पैसा मात्र) के भुगतान की प्रशासकीय एवं वित्तीय के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में रू0 38,46,825.75 (अड़तीस लाख छियालिस हजार आठ सौ पच्चीस रूपया पचहत्तर पैसा मात्र) को अवमुक्त करते हुए जिलाधिकारी, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने के आदेश निर्गत किए गए हैं।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद लखनऊ में लखनऊ एयरपोर्ट के रनवे विस्तार एवं बंगला बाजार से बिजनौर पथान्तर योजना हेतु शासनादेश संख्या 56/2024/663/छप्पन-2024-10(3)/2024, दिनांक 23 जुलाई, 2024 में धनराशि रू0 38,46,825.75 (अड़तीस लाख छियालिस हजार आठ सौ पच्चीस रूपया पिचहत्तर पैसा मात्र) के स्थान पर पूर्णांक में रू0 38,46,826 (रूपए अड़तीस लाख छियालिस हजार आठ सौ छब्बीस मात्र) कराने की सीमा तक संशोधित कर अवमुक्त करते हुए जिलाधिकारी, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- उक्त शासनादेश संख्या 56/2024/663/छप्पन-2024-10(3)/2024, दिनांक 23 जुलाई, 2024 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।

5- उक्त शासनादेश दिनांक 23 जुलाई, 2024 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

भवदीय,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

संख्या- 84/2024/1297(1)/छप्पन-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10

3- जिलाधिकारी, लखनऊ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

5- अपर जिलाधिकारी(भू0अ0), संयुक्त संगठन, लखनऊ।

6- मा0 जिला जज/पीठासीन अधिकारी, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण, लखनऊ मण्डल लखनऊ।

7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7.

8- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।